F.No. 15-50/1-NMA/2021
Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad", District – Hardoi, Uttar Pradesh have been prepared by The Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 and Rule 18 of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011 and the same is uploaded on the following websites:

1. National Monuments Authority www.nma.gov.in
2. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
3. Archaeological Survey of India, Lucknow Circle www.asilucknowcircle.nic.in

Any person having any suggestion or comment may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email id hbl-section@nma.gov.in latest by 18th February 2021. The person making comment or suggestions should also give his name and address.

The objection or comment which may be received before the expiry of the period of 30 days i.e. 18th February 2021 shall be considered by The National Monuments Authority.

(N.T. Paite)
18th January 2021

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, District – Hardoi, Uttar Pradesh

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 के नियम (22) के साथ पठित, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक "नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश" के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियम 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अथवा hbl-section@nma.gov.inपर ई-मेल किए जा सकते हैं।

कथित प्रारूप उप-विधियों के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि
अध्याय I
प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप-विधियों को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक 'नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश" के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप- विधि, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।

(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह, या कोई गुफा, शैल-मूर्तियां शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तिसंगत रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से कम रैंक का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त कम रैंक का न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी

अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कार्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और पुनरुद्धार या नालियों और जलनिकास संबंधित निर्माण कार्यों तथा सार्वजनिक शौचालयों- मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "बेसमेंट अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं- किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे कवर करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत निम्न व्यक्ति शामिल हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियां निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी की संपत्ति के हक- उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्‌यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति को धीमा करने से है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्‌वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्‌वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुनर्निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्‌यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्‌यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

(एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2. **अधिनियम की पृष्ठभूमि** : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद थी अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 **धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम का उपबंध :** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषधरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम) 2011, नियम 22 में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम,2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 **आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद थी अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना की किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य-प्रणाली) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, हरदोई की अवस्थिति एवं विन्यास

2.0 स्मारक की अवस्थिति एवं विन्यास:

- यह स्मारक हरदोई जिले के शाहाबाद शहर में स्थित है। शहर की पूर्वोत्तर दिशा में विद्यमान यह स्मारक नर्मदा ताल झील के निकट उत्तर दिशा में है।
- यह जीपीएस निर्देशांक : (**$27^0$39'31.72" उत्तरी अक्षांश : $79^0$56'40.02" पूर्वी देशांतर**) पर स्थित है।
- इससे निकटतम रेलवे स्टेशन आंझी शाहाबाद है जो शाहाबाद शहर में स्थित है और 4.6 किलोमीटर की दूरी पर है (खत्ता दिलेरगंज रोड → आंझी मिगलगंज रोड → नर्मदा तीर्थ रोड से होते हुए)।
- निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ शहर में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

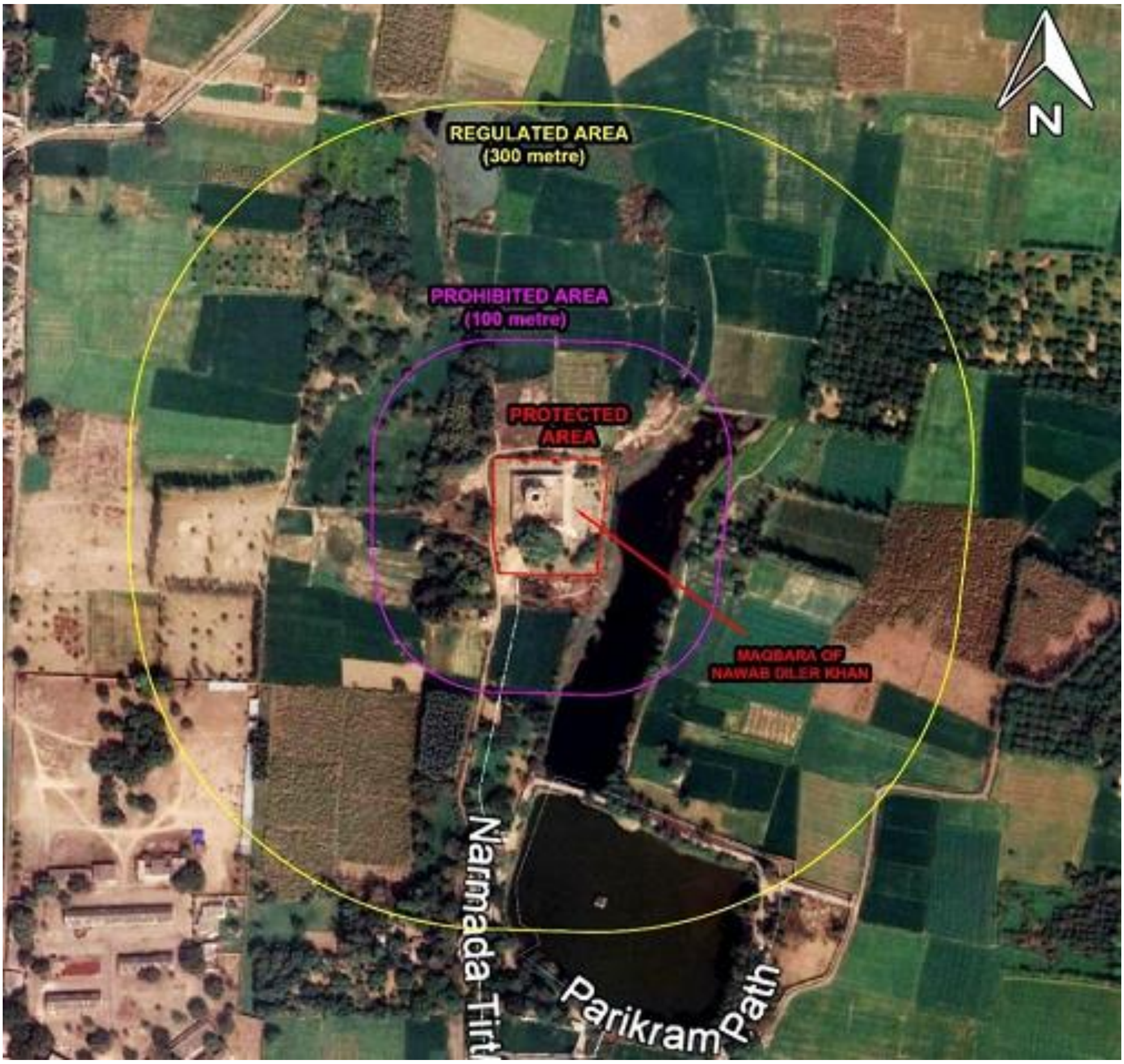

चित्र1, शाहजहां के प्रतिष्ठित अधिकारी नवाब दिलेर खान के मकबरे, ग्राम और तहसील-शाहाबाद, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति को दर्शाता गूगल मानचित्र

3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, हरदोई की संरक्षित चारदीवारी **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है।

3.1.1. एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना/मानचित्र योजना:

नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, हरदोई की राजपत्र अधिसूचना संख्या **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकती है।

3.2. स्मारक/स्थल का इतिहास :

बादशाह शाहजहां के शासनकाल (1628-58 ईस्वी) में निर्मित यह मकबरा अफगान अधिकारी और मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के समय के गवर्नर नवाब दिलेर खान की स्मृति में बनाया गया था। वह दरिया खान दाउदजई के पुत्र थे। दरिया खान जहांगीर की शाही सेना के सैनिक थे जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आ गए थे। सूत्रों के अनुसार, यह भी माना जाता है कि शाहाबाद शहर की संस्थापना नवाब दिलेर खान द्वारा की गई थी जिन्हें शाहजहांपुर जिले में एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था।

3.3. स्मारक का विवरण (वास्तुपरक विशेषताएं, घटक, सामग्रियां आदि) :

तराशे हुए कंकड़ के खंडों का प्रयोग करते हुए निर्मित यह मकबरा दो मंजिला संरचना है जो वर्गाकार मंच पर बनाया गया है। भूमितल की बाहरी दीवारों में आयताकार द्वार हैं जो प्लस्तर में तराशे गए ट्यूडर शैली महराबों के भीतर उत्कीर्णित हैं और इन महराबों के बीच स्पैंडरल को आयताकार आकृतियों का प्रयोग करते हुए सजाया गया है। इन्हीं दीवारों के सबसे ऊपर के छोर पर, चारों तरफ एक छोटा *छज्जा* बनाया गया है और दो सजावटी आकृतियों वाले बैंड (पट्टे) भी तराशे गए हैं, एक ऊपर और दूसरा उसके नीचे। ऊपरी मंजिल की दीवारों में विशाल महराबदार आले हैं जिन्हें फूल, पत्ती की सजावट वाले बैंड, प्लस्तर की पट्टियों और लाल बलुआ पत्थर में तराशे गए लघु आलों से सजाया गया है। इसके अलावा, संरक्षित चारदीवारी के भीतर कई कब्रें भी मौजूद हैं और नवाब दिलेर खान को भी अपनी बीवियों और तीन बेटों की कब्रों के पास दफनाया गया है।

3.4. वर्तमान स्थिति

3.4.1. स्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन :

यह स्मारक भली-भांति परिरक्षित है। इसके अलावा स्मारक में जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य भी किया गया है।

3.4.2. प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों और कभी-कभार आने वाले आगंतुकों की संख्या:

यह टिकट-रहित स्मारक है और स्थानीय क्षेत्र से सामान्यत: 150-200 आगंतुक प्रतिदिन इसे देखने आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में मौजूदा क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0. मौजूदा क्षेत्रीकरण :

स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब तक कोई क्षेत्रीकरण विद्‌यमान नहीं है।

4.1. स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशा-निर्देश :

इसे **अनुलग्नक- III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखों में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0. नवाब दिलेर खान शाहाबाद का मकबरा, हरदोई की **रूपरेखा संबंधी योजना :**

यह **अनुलग्नक-IV** पर देखी जा सकती है।

5.1. सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण

5.1.1. संरक्षित क्षेत्र, प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र वर्ग मीटर में और उनकी मुख्य विशेषताएं :

- **संरक्षित क्षेत्र** : 8690.01 वर्ग मीटर (2.14 एकड़)
- **प्रतिषिद्ध क्षेत्र :** 68481.75 वर्ग मीटर (16.92 एकड़)
- **विनियमित क्षेत्र :** 325436.62 वर्ग मीटर (99.40 एकड़)

मुख्य विशेषताएं :

- स्मारक की ऊंचाई 20 मीटर है।
- यह स्मारक भव्य रूप में नर्मदा ताल झील के निकट स्थित है और इसके आस-पास चारों दिशाओं में खुले में फैली कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है।
- भूमि का उपयोग अधिकतर खेती के प्रयोजन से किया जाता है, जबकि मंदिर, आश्रम, गोदाम और विविध लघु संरचनाओं सहित कुछ इमारतें भी आस-पास के क्षेत्र में मौजूद हैं।
- नर्मदा ताल झील, अन्य प्राकृतिक तालाब और घने पेड़ों से ढकी हुई खुली भूमि के कुछ भाग भी मौजूद हैं।
- नर्मदा तीर्थ और परिक्रमा पथ नामक दो पक्की सड़कों के साथ-साथ कई संकरे कच्चे/पक्के पथ भी आस-पास मौजूद हैं जो चारों तरफ के क्षेत्र और शहर के अन्य भागों के साथ जोड़ते हैं।

5.1.2. निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर** : इस दिशा में कोई संरचना मौजूद नहीं हैं।
- **दक्षिण:** इस दिशा में और दक्षिण-उत्तर दिशा में एएसआई अधिग्रहण के अंतर्गत एक मकबरा मौजूद है।
- **पूर्व:** इस दिशा में कोई संरचना मौजूद नहीं हैं।
- **पश्चिम:** इस दिशा में एक कब्रिस्तान मौजूद है।

विनियमित क्षेत्र:

- **उत्तर:** इस दिशा में कोई संरचनाएं मौजूद नहीं हैं।
- **दक्षिण:** इस दिशा में एक आश्रम, एक मंदिर, बोरवैल, नर्मदा ताल झील में एक फव्वारा और कुछ विविध अस्थायी संरचनाएं मौजूद हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ वाणिज्यिक गोदाम भी मौजूद हैं।
- **पूर्व** : इस दिशा में ट्यूबवैल, पानी की टंकियां और दो छोटे नाले मौजूद हैं।
- **पश्चिम:** इस दिशा में गोदाम मौजूद हैं।

5.1.3. हरित/खुले स्थानों का विवरण :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र :

- **उत्तर:** इस दिशा में और पूर्वोत्तर दिशा में खेती के लिए खुली भूमि मौजूद है।
- **दक्षिण :** इस दिशा में नर्मदा ताल झील के साथ-साथ खेती संबंधी कार्यकलापों के लिए खुली भूमि मौजूद है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में मकबरे की चारदीवारी के भीतर मौजूद खुली भूमि के साथ-साथ खेती योग्य भूमि भी है।
- **पूर्व:** इस दिशा में नर्मदा ताल झील के साथ-साथ खेती संबंधी कार्यकलापों के लिए खुली भूमि मौजूद है। दक्षिण-पूर्व दिशा में खेती योग्य खुली भूमि भी मौजूद है।
- **पश्चिम:** इस दिशा में छोटे पेड़ों वाली खेती योग्य खुली भूमि और साथ में एक कब्रिस्तान मौजूद है। उत्तर-पश्चिम दिशा में खेती योग्य खुली भूमि भी है।

विनियमित क्षेत्र:

- **उत्तर :** इस दिशा में खेती योग्य खुली भूमि और तालाब मौजूद हैं। पूर्वोत्तर दिशा में खेती योग्य खुली भूमि है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में खेती योग्य खुली भूमि, नर्मदा ताल झील, मंदिर के परिसर में लॉन और आश्रम के परिसर में मौजूद खुली भूमि है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में खेती योग्य खुली भूमि भी मौजूद है।
- **पूर्व:** इस दिशा में अनेक पेड़ों से ढकी खेती योग्य खुली भूमि मौजूद है। दक्षिण-पूर्व दिशा में खेती योग्य खुली भूमि भी मौजूद है।
- **पश्चिम:** इस दिशा में खेती योग्य खुली भूमि और एक निचला भूखंड मौजूद है जो कभी-कभी पानी से भर जाता है, जिससे एक प्राकृतिक तालाब बन जाता है। उत्तर-पश्चिम दिशा में खुली खेती योग्य भूमि है जिसके कुछ भाग घने पेड़ों से ढके हुए हैं।

5.1.4. परिचालन के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र- सड़कें, फुटपाथ आदि:

स्मारक की प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाओं में हर तरफ कुछ संकरे कच्चे/पक्के रास्ते मौजूद हैं जिनसे सब जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। नर्मदा तीर्थ और परिक्रमा रास्ता नामक पक्की सड़कें भी प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की दक्षिण दिशा में मौजूद हैं जो शाहाबाद शहर के अन्य शहरों से जुड़ती हैं। इसके अलावा,

संरक्षित चारदीवारी के भीतर आगंतुकों की आवाजाही के लिए संकरा पक्का रास्ता भी बनाया गया है।

5.1.5. भवन की ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

- **उत्तर और पूर्वोत्तर:** कोई भवन मौजूद नहीं है।
- **दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है।
- **पूर्व और दक्षिण-पूर्व:** अधिकतम ऊंचाई 2.6 मीटर है।
- **पश्चिम और उत्तर-पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 3.5 मीटर है।

5.1.6. प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संरक्षित स्मारकों और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि मौजूद हो:

स्मारक के निकट कोई भी राज्य या अन्य संरक्षित स्मारक मौजूद नहीं है।

5.1.7. सार्वजनिक सुविधाएं :

संरक्षण सूचना बोर्ड (पीएनबी), पेयजल, बैंच और सार्वजनिक शौचालय (पोर्टेबल केबिन) स्मारक में उपलब्ध हैं।

5.1.8. स्मारक तक पहुंच:

इस स्मारक तक स्थानीय रूप से एक पक्की सड़क से पहुंचा जा सकता है जिसे नर्मदा तीर्थ नाम से जाना जाता है और जो प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की दक्षिणी दिशा में मौजूद है। यही सड़क दक्षिण दिशा में 900 मीटर तक जाती है और रूपापुर-पाली रोड/लखनऊ-हरदोई-शाहजहांपुर रोड से जुड़ जाती है।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र (स्टोर्म वाटर ड्रेनेज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)

स्मारक में जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। नर्मदा ताल झील की ओर प्राकृतिक ढलान होने के कारण यह जल उसमें बह जाता है।

5.1.10. स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

स्थानीय निकायों की ओर से शाहाबाद के लिए कोई विकास योजन उपलब्ध नहीं है। अत: कोई क्षेत्रीकरण प्रस्तावित नहीं है।

निर्माण के सामान्य दिशानिर्देश **"उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973"** के अंतर्गत परिभाषित **"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और भवन उप-विधि-2008; संशोधित 2016"** (खंड 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1) के अनुसार हैं।

अध्याय VI

स्मारक का वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0. वास्तुकीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

यह स्मारक इतिहास में अत्यंत प्रतिष्ठित है क्योंकि यह शाहाबाद शहर के संस्थापक-नवाब दिलेर खान, जो शाहजहां और औरंगजेब के शासन में प्रसिद्ध अधिकारी तथा गवर्नर थे, की स्मृति में बनाया गया था। इसके अलावा स्मारक की वर्तमान संरचना न केवल इस्लामी शासकों की अभिकल्पन संबंधी उपयुक्तताओं को अनावृत्त करने में हमारी सहायता करती है, बल्कि यह प्राचीन युग के शिल्पकारों द्वारा विशिष्ट प्रभावशाली कला का भी प्रतिनिधित्व करती है जिसे इसकी मेहराबों, पत्थर की नक्काशियों, फूल-पत्ती की सजावटों, आलों आदि सहित विभिन्न भागों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये सभी स्मारक को वास्तुकीय और पुरातात्विक महत्व प्रदान करते हैं।

6.1. स्मारकों की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि)

इस स्मारक पर शहरीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि यह कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। प्रतिषिद्ध और विनियमित, दोनों क्षेत्रों की दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में कुछ संरचनाएं मौजूद हैं।

6.2. संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र की उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिशाओं से यह स्मारक खुली भूमि के मौजूद होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में पेड़ों के होने के कारण यह स्मारक आंशिक रूप से दिखाई देता है। यह स्मारक सभी दिशाओं से साफ दिखाई देता है, सिवाय उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशाओं के, जहां से दृश्यता स्मारक के विनियमित क्षेत्र में घने पेड़ों की मौजूदगी के कारण प्रभावित होती है।

6.3. पहचान की गई भूमि का उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में भूमि का उपयोग मुख्यत: कृषि संबंधी कार्यों के लिए किया गया है। विनियमित क्षेत्र की दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ व्यावसायिक गोदाम भी मौजूद हैं। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र की दक्षिण दिशा में भूमि पर मंदिर, आश्रम सहित कुछ सार्वजनिक भवन और अन्य विविध संरचनाएं भी मौजूद हैं।

6.4. संरक्षित स्मारक के अलावा पुरातत्वीय अवशेष :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक पुराना मकबरा मौजूद है।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य :

पेड़ों और रास्तों वाली खुली भूमि जिनसे नर्मदा ताल झील परिक्रमा रास्ता और अन्य तालाब बने हैं, वे स्मारक का प्राकृतिक परिदृश्य तैयार करते हैं।

6.6. महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग है और यह पर्यावरणीय प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में मदद करता है:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र की पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में और विनियमित क्षेत्र की दक्षिण दिशा में मौजूद नर्मदा ताल झील, विनियमित क्षेत्र की दक्षिण दिशा में मौजूद अन्य तालाबों के साथ मिलकर निर्माण संबंधी कार्यकलापों से स्मारक की रक्षा करती है जिससे यह पर्यावरणीय प्रदूषण से बचा रहता है। इसके अलावा, आस-पास के क्षेत्र में मौजूद खेती योग्य भूमि भी स्मारक के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य के रूप में कार्य करती है।

6.7. खुले स्थान और निर्मित भवन का उपयोग:

यहां खुले स्थान अधिकतर कृषि संबंधित भूमि है जिसका उपयोग खेती के प्रयोजन के लिए किया गया है, जबकि विनियमित क्षेत्र की पश्चिम दिशा में खुली भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में भी किया गया है। निर्मित संरचनाएं सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक इमारतें हैं जिनमें मंदिर, आश्रम और अन्य विविध संरचनाएं शामिल हैं। विनियमित क्षेत्र की दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ व्यावसायिक गोदाम भी मौजूद हैं।

6.8. पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

वर्तमान में कोई भी पारंपरिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कार्यकलाप आयोजित नहीं किए जा रहे हैं।

6.9. स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से नजर आने वाला क्षितिज:

स्मारक की ऊंचाई 20 मीटर है इसलिए यह क्षितिज से आसानी से दिखाई देता है। पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशाओं में घने पेड़ों की मौजूदगी के कारण इस स्मारक के आस-पास के क्षेत्र से यह आंशिक रूप से दिखाई देता है।

6.10. पारंपरिक वास्तुकला:

स्मारक के आस-पास कोई भी पारंपरिक वास्तुकला का नमूना मौजूद नहीं है।

6.11. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना

स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से कोई भी विकास विकासात्मक योजना उपलब्ध नहीं है।

6.12 भवन निर्माण संबंधी मानदंड :

(क) **स्थल पर निर्मित भवन की ऊंचाई (छत के ऊपरी भाग की संरचना जैसे ममटी, मुंडेर आदि सहित) :-** स्मारक के विनियमित क्षेत्र में भवनों की ऊंचाई को 07 मीटर तक सीमित रखा जाएगा।

(ख) **तल क्षेत्र :** एफएआर स्थानीय भवन निर्माण उपनियमों के अनुसार होंगे।

(ग) **उपयोग :** भूमि-उपयोग में बिना किसी परिवर्तन सहित, स्थानीय भवन निर्माण-उपनियमों के अनुसार।

(घ) **अग्रभाग का डिजाइन :**

- अग्रभाग का डिजाइन, स्मारक के परिवेश से मेल खाना चाहिए
- सामने की सड़क या सीढ़ी शाफ्ट के साथ फ्रेंच दरवाजे और कांच के बड़े अग्रभाग बनाने की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) **छत का डिजाइन :**

- क्षेत्र में केवल सपाट छत वाली डिजाइन को अपनाया जाएगा।
- भवन की छत पर एलुमिनियम, फाइबर ग्लास, पालीकार्बोनेट या उसी प्रकार की सामग्री जैसी अस्थायी प्रकार की सामग्रियों से बनी सुविधाओं का भी उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

- छत पर रखे बड़े वातानुकूलन यूनिट, पानी की टंकियां या बड़े जेनरेटर जैसी सभी सुविधाओं का उपयोग करते हुए स्क्रीन वॉल [(ईंट/सीमेंट की चादरें आदि] से ढका जाना चाहिए। इन सभी सुविधाओं के आकार को अधिकतम अनुमेय ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

(च) भवन निर्माण सामग्री:

- स्मारक के सभी मार्ग अग्रभागों के किनारे-किनारे की निर्माण सामग्री और रंग में समरूपता।
- बाहरी परिष्करण (फिनिश) के लिए आधुनिक सामग्री जैसे एलुमिनियम का आवरण, शीशे की ईंटें (ग्लास ब्रिक्स) और किसी अन्य कृत्रिम टाइल या सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- परंपरागत सामग्री जैसे ईंट, और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग:- बाहर का रंग, स्मारक के अनुरूप हल्के रंग का ही होना चाहिए।

6.13 आगंतुक हेतु सुविधाएं :

स्थल पर प्रकाश व्यवस्था, लाइट और साउंड शो, शौचालय, विवेचना केन्द्र, कैफेटेरिया, पेयजल सुविधा, स्मारिका विक्रय केन्द्र, दृश्य-श्रव्य केन्द्र, रैम्प, वाई-फाई, ब्रेल जैसी आगंतुक हेतु सुविधाएं और साधन उपलब्ध हैं।

अध्याय-VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें

(क) सैटबैक

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, District – Hardoi, Uttar Pradesh", prepared by the Competent Authority, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 TilakMarg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws
CHAPTER I
PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage by-laws for Conservation of Centrally Protected Monument Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, District – Hardoi, Uttar Pradesh.
(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
(iii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

- (i) The remains of an ancient monument,
- (ii) The site of an ancient monument,
- (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
- (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

- (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
- (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or

building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER - III

Location and Setting of Centrally Protected Monument of Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, Hardoi

3.0 Location and Setting of the Monument:-

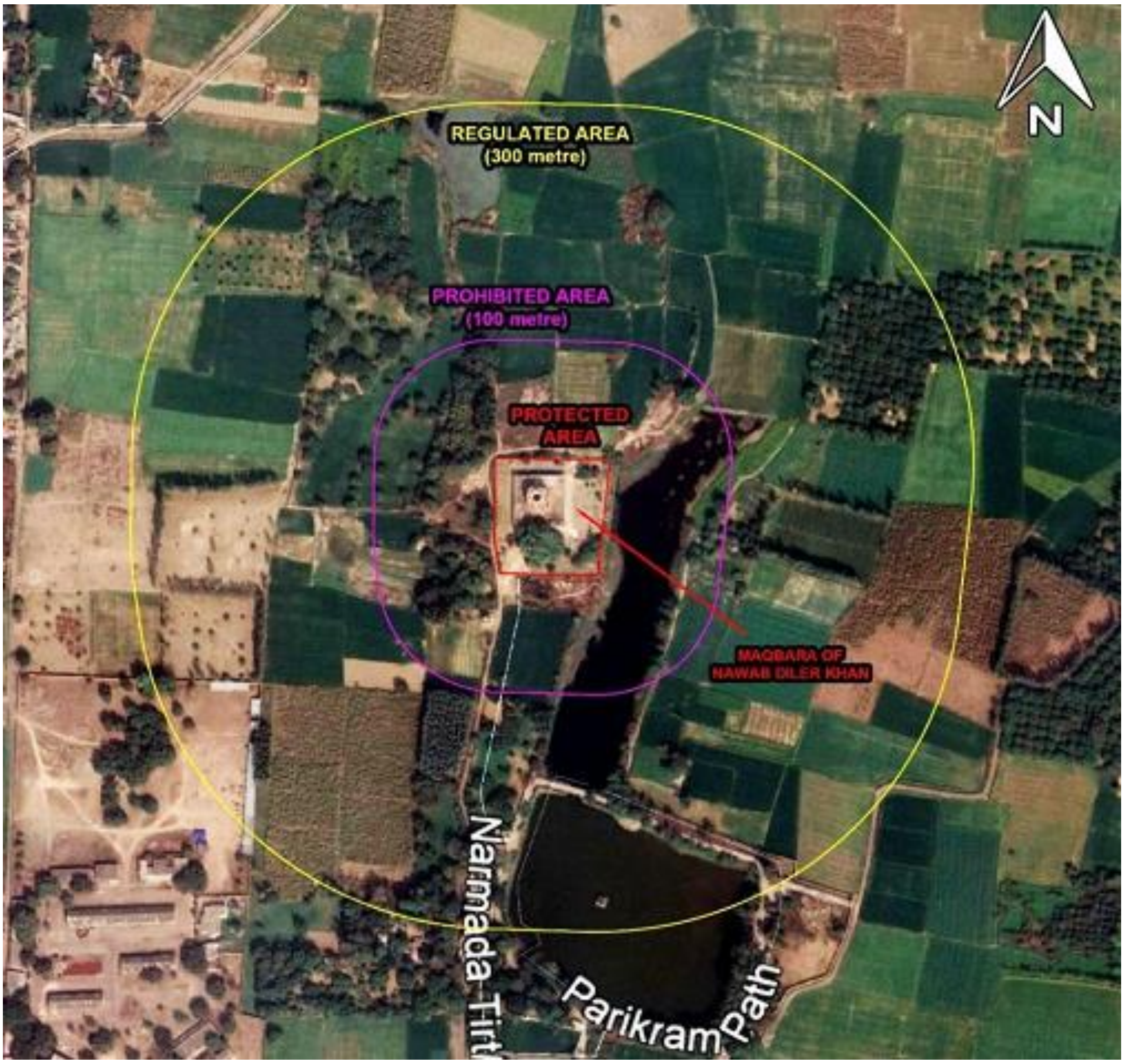

Figure 1, Google map showing location of Maqbara of Nawab Diler Khan a distinguished officer of Shah Jahan, Village & Tehsil – Shahabad, District – Hardoi, Uttar Pradesh.

- It is situated at GPS Cordinates: **(27° 39' 31.72" N: 79° 56' 40.02" E)**
- The monument is located in the Shahabad city of Hardoi district. Present in the north-east direction of the city, it stands in the north direction close to Narmada Taal lake.
- The nearest railway station is – Anjhi Shahabad located at Shahabad city, which is 4.6kms away (via Khatta Dilerganj road → Anjhi Migalganj road → Narmada Tirth road).
- The nearest airport is Chaudhary Charan Singh International Airport situated at Lucknow city.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument- Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, Hardoi may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, Hardoi may be seen at **Annexure-II**.

3.2History of the Monument:

Built during the reign of Emperor Shah Jahan (1628-58 CE), this tomb stands in memory of Nawab Diler Khan – an Afghan officer and a governor in the time of Mughal rulers Shah Jahan and Aurangzeb. He was the son of Dariya Khan Daudzai, a soldier in fortune service of Jahangir, who migrated to India in early 16th century. According to sources, it is also believed that the Shahabad city wasfounded by Nawab Diler Khan, who was sent to suppress an uprising in Shahjahanpur district.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

Built entirely using dressed Kankar blocks, the tomb is a two storied structure erected on a square platform. The exterior walls of the ground floor have rectangular openings inscribed within Tudor style arches carved out in plaster and the spandrels between these arches are decorated using rectangular patterns. At the top end of the same walls, on all four sides, a small *chajja* is projected and two bands of decorative patterns are also carved, one above and another below it. The walls of the upper storey contain huge arched niches supported with bands of floral decoration, plaster mouldings and miniature niches carved out in red sandstone. Apart from this, inside the protected boundary many graves are also present and Nawab Diler Khan was also buried near the graves of his wives and three sons.

3.4 CURRENT STATUS

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation. Further, restoration and conservation work has been carried out at the monument.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

It's a non-ticketed monument and usually 150-200 people per day from local area visit the monument.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

No development plan by the local authorities is available therefore, no zoning exists till date.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Maqbara of Nawab Diler Khan Shahabad, Hardoi:

It may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Protected Area, Prohibited Area and Regulated Area in Square Meters and their salient features

Protected Area:8690.01 Sqm (2.14 Acres).
Prohibited Area:68481.75 Sqm (16.92 Acres).

Regulated Area:325436.62 Sqm (99.40 Acres).

Salient features:

- The height of the monument is 20 m.
- The monument stands proudly near the Narmada Tal Lake, enveloped by vast open agricultural land present in all four directions.
- Mostly the land is used for cultivation purposes, whereas some structures including, temple, ashram, godowns and small miscellaneous structures are also present in the surroundings. Narmada Tal Lake, other natural ponds and some parts of open land also densely covered by trees are present.
- Many narrow earthen/paved pathways along with two metalled roads – Narmada Tirth and Parikrama Path is also present in the surroundings providing connectivity in the circumventing area and with other parts of the city.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

- **North -**No structures are present in this direction.
- **South -**A tomb under the possession of ASI is present in this direction and in the south-west direction.
- **East-** No structures are present in this direction.
- **West**–A graveyard is present in this direction.

Regulated Area:

- **North -**No structures are present in this direction.
- **South-**An ashram, a temple, bore wells, a fountain in Narmada Tal Lake and some miscellaneous temporary structures are present in this direction. Some commercial godowns are also present in the south-west direction.
- **East-** Tube wells, water tanks and two small drains are present in this direction.
- **West**- Godowns are present in this direction.

.

5.1.3 Description of green/open spaces :

Prohibited Area:

- **North-**Open land for cultivation is present in this direction and in the north-east direction.
- **South-**Open land for cultivation activities along with Narmada Tal Lake are present in this direction. Cultivation land along with open land lying inside the boundary of a tomb is present in the south-west direction.
- **East -**Open cultivation land along with Narmada Tal Lake are present in this direction. Open cultivation land is also present in the south-east

direction.

- **West -**Open cultivation land along with a graveyard having small trees are present in this direction. Open cultivation land is also present in the north-west direction.

Regulated Area:

- **North -**Open cultivation land and a pond is present in this direction. Open cultivation land is also present in the north-east direction.
- **South -** Open cultivation land, Narmada Tal Lake, lawn in the premises of a temple and an open land existing at the premises of an Ashram are present in this direction. Open cultivation land is also present in the south-west direction.
- **East** - Open cultivation land with some parts densely covered with trees is present in this direction. Open cultivation land is also present in the south-east direction.
- **West** - Open cultivation land and a low land which sometimes get filled with water forming a natural pond is present in this direction. Open cultivation land with some parts densely covered with trees is present in the north-west direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.

Throughout the Prohibited and Regulated limits of the monument, some narrow earthen/paved pathways are present, which provides good connectivity. Metalled roads - Narmada Tirth and Parikrama Path are also present in the south direction of both the Prohibited and Regulated Areas, providing connectivity with other parts of Shahabad city. Further, inside the Protected boundary, narrow paved pathway are provided for the movement of visitors.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North & North - east:** No building present.
- **South &South- west:** Maximum height is 10 m.
- **East & South- east :** Maximum height is 2.6 m.
- **West & North- west:** Maximum height is 3.5 m.

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There is no state and other protected monument nearby the monument.

5.1.7 Public amenities:

Protection Notice Board (PNB), drinking water, benches and public toilets (portable cabins) are available at the monument.

5.1.8 Access to monument:

The monument is approached by a metalled road locally known as – Narmada Tirth road, present in the south direction of the Prohibited and Regulated Areas. This same road extends up to 900m in the south direction and gets linked with Rupapur - Pali Road / Lucknow – Hardoi - Shahjahanpur Road.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Water supply is available at the monument. The water drains into the Narmada Tal Lake due to the natural slope towards it.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

No development plan for Shahabad is available by the local authorities. Therefore, no zoning is proposed.

The general guidelines for construction are as per **"Development Authority Building Construction and Development sub method – 2008; Revised 2016** (clause 1.1.1, 1.1.2 and 1.2.1) defined under the **"Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act - 1973".**

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The monument holds enormous chronicled esteem, as it stands in memory of the founder of Shahabad city – Nawab Diler Khan, a renowned officer and governor of Shah Jahan and Aurangzeb. Apart from this, the present structure of the monument not only helps us to also unveil the design rationalities of Islamic rulers but also, it represents the typical impressive artwork by the craftsmen of ancient era, which can be clearly traced in its various parts including arches, stone carvings, floral decorations, niches etc., thus adding an immense architectural and archaeological value to the monument.

6.1 Sensitivity of the monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The monument is not affected by urbanization due to it being a sparsely populated area. In the south and south-west directions of both the Prohibited and Regulated Areas, some structures exist.

6.2 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from Regulated Area:

From the north, south and east directions of the Prohibited Area, the monument is clearly visible due to presence of open land. Whereas, from the west and south-west directions, the monument is partially visible due to the presence of trees. The monument is clearly visible in all directions, except in the north-east and north-west directions, the visibility is affected due to existing dense trees in the Regulated Area of the monument. The monument is partially visible due to some existing structures in the south direction.

6.3 Land-use to be identified:

The major land use in both the Prohibited and Regulated Areas is agricultural. Some commercial godowns are also present in the south-west direction of the Regulated Area. Apart from this, land is also occupied by some public buildings including temple, ashram and other miscellaneous structures existing in the south of the Regulated Area.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

An old tomb exists in the south-west direction in the Prohibited Area.

6.5 Cultural landscapes:

The open land having trees and pathways forming part of Narmada Tal Lake Parikrama and other ponds add a natural backdrop to the monument.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The Narmada Tal Lake present in the east and south-east direction of the Prohibited Area and in the south direction of Regulated Area, along with other ponds existing in the north direction of the Regulated Area safeguards the monument from construction activities thus protecting it from environmental pollution. Further, the cultivation land existing in the surroundings also acts as significant natural landscape for the monument.

6.7 Usage of open space and constructions:

The open spaces are mostly agricultural land used for cultivation purposes whereas, in the west direction the Regulated Area, an open land is also used as graveyard. The built-up structures are public and semi-public buildings which includes temples, ashram and other miscellaneous structures. In the south-west direction of the Regulated Area, some commercial godowns also exist.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, cultural or historical activities are followed in the present day.

6.9 Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas:

The monument is 20m in height and therefore, it is clearly visible in the skyline of the area. There is partial visibility towards the surroundings from the monument due to the presence of dense trees in north-east and north-west directions.

6.10 Traditional Architecture:

No traditional architecture is in prevalence around the monument.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

No developmental plan is available by the local authorities.

6.12 Building related parameters:

(a) **Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc):** The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 07mtr.

(b)Floor area: FAR will be as per local building bye-laws.

(c)Usage:-As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d)Façade design:-

- The façade design should match the ambience of the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:-

- Only flat roof design in the area is to be followed
- Structures, even using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.

- All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.

(f) Building material: -

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

(g) Colour: - The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound show, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs,plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted; but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.

- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE - I

Protected boundary of Maqbara of Nawab Diler Khan, Hardoi

नवाब दिलेर खान के मकबरे की संरक्षित चारदीवारी, हरदोई

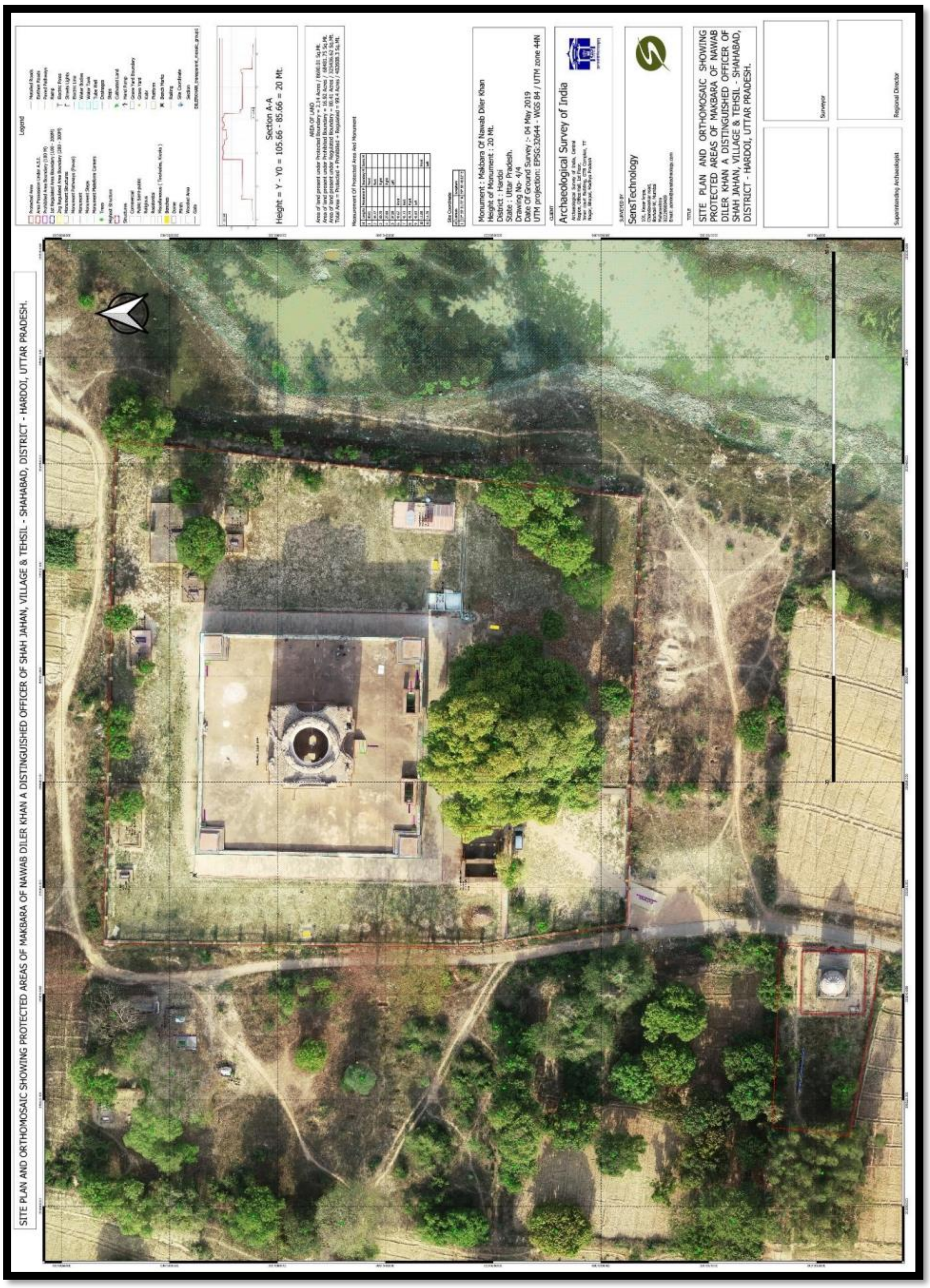

स्मारक की अधिसूचना

NOTOFICATION OF THE MONUMENT

अनुलग्नक-II

ANNEXURE – II

Government of United Provinces
Public Works Department
Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December. 1920

No. 1646-M/1133.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1951-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,

A.C. Verrieres,
Secretary to Government, United Provinces.

Sl. No.	Name of Monuments	Situation. District.	Locality.	Village.	Tahsil.	Pargana.	Remarks.
1.	Phulmati	Hardoi	..	Sandi	Bilgram	..	..
2.	A fine well	Do.	Near the Dargah of Makhdum Shah, lined with blocks of kankar.	Mallawan	Do.	..	..
3.	Maqbara of Nawab Diler Khan a distinguished officer of Shah Jahan	Do.	..		Shahabad	Shahabad	..
4.	*Memorial Cemetery.	Do.	..		Madhoganj	Bilgram	

*Contains two tombs in which the remains of the following officers have been buried. Lieutenant-Colonel Hon'ble Adrian Hope, Lieutenants Willoughby, Douglas, Jennings, Bramly and Harrington killed in 1858.

Typed copy of Original Notification

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति

Government of United Provinces
Public Work Department Buildings
and Roads Branch

Dated : Allahabad, the 22nd December, 1920.

No. 1645-M/1133. – In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant Governor is hereby pleased to conform this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of part I of the United Provinces Gazette, dated the 20thNovember, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considerednecessary.

By order,

A.C. Verrieres,

Secretary to Government, United Provinces.

Sr. No.	Name of Monuments	Situation.					Remarks
		District.	Locality.	Village.	Tahsil.	Pargana.	
1.	Phulmati	Hardoi	..	Sandi	Bilgram	..	..
2.	A fine well	Do.	Near the Dargah of Makhdum Shah, lined with blocksof kankar.	Mallawan	Do.	..	..
3.	**Maqbara of NawabDiler Khan a distinguished officer of Shah Jahan**	**Do.**	**..**		**Shahabad**	**Shahabad**	**..**
4.	*Memorial Cemetery	Do.	..		Madhoganj	Bilgram	*

*Contains two tombs in which the remains of the following officers have been buried. Lieutenant-Colonel Hon'ble Adrian Hope, Lieutenants Willoughby, Douglas, Jennings, Bradly and Harrington killed in 1858.

अनुलग्नक-III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

निर्माण के लिए नियम और दिशानिर्देश उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट हैं

1. **नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़े गए क्षेत्र (सेटबैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय तल स्थल कवरेज, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई**

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि - 2008; संशोधित- 2016 (क्रमश: 1.1.1, 1.1.2 और 1.2.1) जिसे "**उत्तर प्रदेश निगम योजना और विकास अधिनियम-1973**" के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, निम्नानुसार है :

- **12.5 मीटर (स्टिल्ट फ्लोर सहित) और 10.5 मीटर (स्टिल्ट फ्लोर के बिना) तक की अधिकतम ऊंचाई वाले रिहायशी भवनों के लिए सैटबैक (उप धारा-3.4.1) :**

तालिका I

विनिर्देश	प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अग्रभाग की सीमा	पिछले भाग की सीमा	साइड 1 की सीमा	साइड 2 की सीमा
पंक्तिबद्ध आवास	50 तक	1.0	-	-	-
	50 से 100 तक	1.5	1.5	-	-
	100 से 150 तक	2.0	2	-	-
	150 से 300 तक	3.0	3	-	-
अर्ध-विलगित	300 से 500 तक	4.5	4.5	3.0	-
विलगित	500 से 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5
	1000 से 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0
	1500 से 2000 तक	9.0	6.0	6.0	6.0

- **15 मीटर तक ऊंचाई के साथ व्यावसायिक/सरकारी भवन (उप-धारा-3.4.2 (I)) के लिए सेट बैक :**

तालिका 2

वर्ग मीटर में भूमि का क्षेत्र	सेटबैक (मीटर में)			
	अग्र भाग	पीछे का भाग	साइड 1	साइड 2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201 से 500	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक	6.0	3.0	3.0	3.0

- **12.5 मी. तक ऊचांई के साथ संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं के लिए सेटबैक, शैक्षिक संस्थानों (उप-धारा-3.4.2 (II)) को छोड़कर।**

तालिका 3

वर्ग मी. में भूमि क्षेत्र	सेटबैक (मीटर में)			
	अग्र भाग	पीछे का भाग	साइड I	साइड 2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201-500	6.0	3.0	3.0	-
501-2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001-4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001-30000	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

- **शैक्षिक संस्थानों के लिए सेटबैक (उप-धारा- 3.4.3) अधिकतम अनुमेय ऊंचाई 10.5 मीटर के साथ :**

तालिका 4

वर्ग मी. में भूमि क्षेत्र	**सेटबैक (मीटर में)**			
	अग्र भाग	**पीछे का भाग**	**भाग ।**	**भाग 2**
500 तक	6.0	3.0	3.0	-
500-2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001-4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001-30000	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

- **12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए सेटबैक (उप-धारा-3.4.5) :**

तालिका 5

भवन की ऊंचाई (मीटर)	**भवन के आसपास का सेट बैक (मीटर)**
12.5 से 15	5.0
15 से 18	6.0
18 से 21	7.0
21 से 24	8.0
24 से 27	9.0
27 से 30	10.0
30 से 35	11.0
35 से 40	12.0
40 से 45	13.0
45 से 50	14.0
50 से 55	15.0
55 से अधिक	16.0

- **विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए ग्राउंड कवरेज और एफएआर :**

तालिका 6

- **बेसमेंट निर्माण के लिए विनिर्देश (उप-धारा- 3.9.1, 3.9.2 और 3.9.3) :**
- रिहायशी प्रयोजन के लिए बेसमेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा और बेसमेंट में शौचालय और रसोईघर के निर्माण की अनुमति नहीं है।
- भीतरी आंगन और शॉफ्ट के नीचे बेसमेंट की अनुमति है।
- बेसमेंट का निर्माण संरचना के मूल्यांकन के पश्चात् ही किया जाएगा। आसपास की संपत्ति उस संपत्ति से 2 मीटर दूर होनी चाहिए जहां बेसमेंट का निर्माण किया जाना है।
- तल (फ्लोर) और बीम के बीच की दूरी 2.1 मीटर से 4.5 मीटर होनी चाहिए।

विभिन्न प्रकार के भवन के लिए बेसमेंट का निर्माण निम्नानुसार होना चाहिए :

तालिका 7

क्र.सं.	**भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)**	**भूमि उपयोग का प्रकार**	**बेसमेंट के लिए प्रावधान**
1.	100 तक	रिहायशी/अन्य गैर-व्यवसायिक	अनुमति नहीं
		सरकारी और व्यावसायिक	ग्राउंड कवरेज का 50 प्रतिशत
2.	100 से 500	रिहायशी	ग्राउंड कवरेज के समान
		गैर रिहायशी	ग्राउंड कवरेज के समान
3.	500 से 1000	रिहायशी	भवन की एनवेलप लाइन तक एक बेसमेंट
		गैर रिहायशी	भवन की एनवेलप लाइन तक दो बेसमेंट
4.	1000 से अधिक	रिहायशी/ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, सरकारी,	1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्र की भूमि के लिए दो बेसमेंट की अनुमति
			2000-10000 वर्ग मीटर क्षेत्र की भूमि के लिए 4 बेसमेंट की

क्र.सं.	भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भूमि उपयोग का प्रकार	बेसमेंट के लिए प्रावधान
			अनुमति
		सामुदायिक सुविधाएं और अन्य बहुमंजिला भवन	10000 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक भूमि के लिए बेसमेंट के लिए कोई प्रतिबंध नहीं
		औद्योगिक	भवन की एनवेलप लाइन तक दो बेसमेंट

- **पार्किंग सुविधा के लिए विर्निदेश (उप-धारा- 3.10.1 और 3.10.3) :**

क. सार्वजनिक कार पार्किंग के लिए अपेक्षित परिचालन क्षेत्र :

तालिका 8

पार्किंग क्षेत्र का प्रकार	परिचालन क्षेत्र (वर्ग मीटर)
खुले क्षेत्र में पार्किंग	23
कवर्ड पार्किंग	28
बेसमेंट में पार्किंग	12
मैकेनाइज्ड पार्किंग	16
साइकिल सहित दुपहिया वाहन	2

ख. रिहायशी क्षेत्र के लिए पार्किंग व्यवस्था का मानक निम्नानुसार है :

तालिका 9

उपयोग का प्रकार	भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	प्रत्येक रिहायशी यूनिट के लिए कार पार्किंग
रिहायशी प्लॉट के रूप में उपयोग	101 से 200	1.00
	201 से 300	2.00
	300 से अधिक	1.00
ग्रुप हाउसिंग	50 से कम	प्रति प्लॉट 2.00 वर्ग

उपयोग का प्रकार	**भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर में)**	**प्रत्येक रिहायशी यूनिट के लिए कार पार्किंग**
		मीटर क्षेत्र
	50 से 100	1.0 /प्लॉट
	100 से 150	1.25/प्लॉट
	150 से अधिक	1.50/प्लॉट

2. **स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उपनियम/नियमावली/दिशानिर्देश यदि कोई हो।**

"विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण और विकास उप-विधि 2008; 2016 में संशोधित, उपधारा-3.1.9 (I) और (II)" में यह उल्लेख किया गया है कि एएसआई द्वारा घोषित संरक्षित स्मारक और विरासत स्थलों के लिए पुरातत्व स्मारकों/स्थानों के संरक्षित परिसीमा से 100 मीटर प्रतिषिद्ध क्षेत्र की परिधि में कोई निर्माण या विकास की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, 300 मीटर तक (विनियमित क्षेत्र), निर्माण/विकास के लिए अनुमति प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम-1958 के नियमों के अनुसार एएसआई विभाग से प्राप्त की जाएगी।

3. **खुले स्थान :**

निर्माण के दौरान खुले स्थानों की व्यवस्था में मान विचलन का संक्षिप्त विवरण ये है -**"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप विधि-2008; संशोधित 2016", उप धारा- 2.2.1 और 2.2.1 और 2.2.3** में खुले क्षेत्र का मानक नीचे उल्लिखित है:

1. **रिहायशी भूमि उपयोग:** ले आउट प्लान का 15 प्रतिशत टॉट-लॉट, पार्क और मैदान के रूप में खुला स्थान छोड़ा गया है।
2. **गैर रिहायशी भूमि का उपयोग:** ले आउट प्लान का 10 प्रतिशत टॉट-लॉट, पार्क और मैदान के रूप में खुला स्थान छोड़ा गया है।
3. **परिदृश्य योजना:**

   क. सड़क की चौड़ाई 9 मीटर या 12 मीटर से कम होने पर सड़क के किनारे 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाएंगे।

ख. सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे।

ग. डिवाइडर, फुटपाथ आदि के बाद छोड़ी गई सड़क के क्षेत्र का उपयोग पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा।

4. व्यावसायिक योजना में 20 प्रतिशत खुली जगह हरियाली के लिए आरक्षित की जाएगी और प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाएंगे।

5. संस्थागत क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, खेल मैदान, जैसे क्षेत्रों में खुले क्षेत्र का 20 प्रतिशत हरियाली के लिए आरक्षित है, जहां प्रति हेक्टेयर 25 पेड़ लगाए जाते हैं।

4. प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र में आवागमन - सड़क की ऊपरी सतह, पैदल-यात्री मार्ग, गैर-मोटरीकृत परिवहन आदि।

विशेष रूप से, स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवाजाही के लिए अभी तक राज्य सरकार के किसी भी वर्तमान नियम और दिशानिर्देश के अंतर्गत कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। स्मारक की निकटवर्ती गलियों में ज्यादातर धीरे चलने वाले मोटरयुक्त और गैर-मोटरयुक्त यातायात के साधन लगातार देखे जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, **"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि- 2008; संशोधित 2016", उप-धारा-2.3.1 और 2.3.2** के तहत विनिर्दिष्ट अन्य रोड/स्ट्रीट विकास संबंधी मानदंड :

- रिहायशी क्षेत्र के लिए :

तालिका 10

क्र.सं.	**सड़क की लंबाई मीटर में**	**सड़क की चौड़ाई मीटर में**
1.	200 मीटर तक	9
2	201 - 400	12
3	401 - 600	18
4	601 - 1000	24
5	1000 से अधिक	30

- लूप स्ट्रीट की चौड़ाई 9 मीटर से कम और लंबाई 400 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- खुली भूमि या एक तरफ खुले क्षेत्र के साथ सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर हो सकती है और यह लंबाई में 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 50 एकड़ तक के क्षेत्र के साथ भूमि की थोक बिक्री के मामले में, पहुंच मार्ग (एक्सेस रोड) की चौड़ाई 24 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र के साथ 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

व्यावसायिक/सरकारी/औद्योगिक उपयोग के लिए

तालिका 11

क्र.सं.	**सड़क की लंबाई मीटर में**	**सड़क की चौड़ाई मीटर में**
1	200 मीटर तक	12
2	201 - 400	18
3	401 – 1000	24
4	1000 से अधिक	30

5. गलियां, अग्रभाग और नव निर्माण

शाहाबाद शहर में हर जगह विभिन्न प्रकार के नए निर्माण और विकास कार्य के लिए वर्तमान स्थानीय विकास प्राधिकरणों से संबंधित लागू नियम और विनियम इससे पहले के भागों में विनिर्दिष्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा, स्ट्रीटस्केप और अग्रभाग से संबंधित कोई दिशानिर्देश और प्रावधान तैयार नहीं किए गए हैं।

LOCAL BODIES GUIDELINES

The general rules and guidelines for construction are specified in Uttar-Pradesh Development Authority

1. **Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated areafor new construction, Set Backs.**

   Provisions for construction indicated in **"Development Authority Building Construction and Development sub method – 2008; Revised 2016**(clause 1.1.1, 1.1.2 and 1.2.1) defined under the **"Uttar Pradesh municipal planning and development act - 1973",**are as follows:

   - **Setbacks for residential buildings (Sub section – 3.4.1) with maximum allowed height is 12.5m (with stilt floor) and 10.5 m (without stilt floor):**

TABLE 1

Specification	Plot Area (Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin
Row Housing	Up to 50	1.0	-	-	-
	50 to 100	1.5	1.5	-	-
	100 to 150	2.0	2	-	-
	150 to 300	3.0	3	-	-
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3.0	-
Detached	500 to 1000	6.0	6.0	3.0	1.5
	1000 to 1500	9.0	6.0	4.5	3.0
	1500 to 2000	9.0	6.0	6.0	6.0

   - **Setbacks for Commercial / Official buildings (Sub – section – 3.4.2 (I)), with height upto 15m:**

TABLE 2

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	side2

Up to 200	3.0	3.0	-	-
201 - 500	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501	6.0	3.0	3.0	3.0

- **Setbacks for institution/community facilities except Educational Institutions (Sub-section-3.4.2 (II)), with height upto 12.5m:**

TABLE 3

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	side2
Up to 200	3.0	3.0	-	-
201 - 500	6.0	3.0	3.0	-
501 - 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 - 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 – 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
More than 30000	15.0	9.0	9.0	9.0

- **Setback for Educational Institutions (Sub-section – 3.4.3), with maximum allowed height 10.5 m:**

Table 4

Area of land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side1	side2
Up to 500	6.0	3.0	3.0	-
500 – 2000	9.0	3.0	3.0	3.0
2001 - 4000	9.0	4.0	3.0	3.0
4001 – 30000	9.0	6.0	4.5	4.5
More than 30000	15.0	9.0	9.0	9.0

- **Setback for building having height more than 12.5m (Sub-section – 3.4.5):**

Table 6

Height of Building (m)	Setback left around the Building (m)
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0
27 to 30	10.0
30 to 35	11.0

35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
50 to 55	15.0
Above 55	16.0

- **Ground coverage and FAR for other Land-use:**
- **T (Sub-section – 3.9.1, 3.9.2 & 3.9.3):**
  - Basement shall not be used for residential purpose. And no toilet and kitchen are allowed to be constructed in basement.
  - The basement is permissible below the inner courtyard and shaft.
  - The construction of basement will be done only after evaluation of the structure. The neighbouring property should be 2m away from the property where basement has to be constructed.
  - The height between the floor and the beam bottom should be from 2.1m – 4.5m.

For different type of buildings the construction of basement should be accordingly:

Table 7

Sr. No.	Land area (in Sqm)	Type of Land-use	Provision for Basement
1.	Upto 100	Residential/ other non - commercial	Not Permissible
		Official and commercial	50 percent of ground coverage
2.	100 to 500	Residential	Same as ground coverage
		Non - Residential	Same as ground coverage
3.	500 to 1000	Residential	One basement till building's envelope line
		Non - Residential	Two basements till building's envelope line
3.	Above 1000	Residential/ Group Housing, Commercial, Official, Community facilities and other multi storied buildings	Double basements are allowed for 1000-2000 Sqm. area of land
			Four basements are allowed in 2000-10000 Sqm. area of land.
			No restrictions of basements for land having more than 10000 Sqm area.
		Industrial	Two basements till building's envelope line

- **Specifications for Parking Facility (Sub-section – 3.10.1, & 3.10.3):**

A. The circulation area required for common car parking:

Table 8

Type of Parking Area	Circulation Area (sqm)
Parking in open area	23
Covered parking	28
Parking in basement	32
Mechanised Parking	16
Two wheelers including bicycles	2

B. The standard of parking arrangements for residential are as follows:

Table 9

Type of Uses	Land area (in Sqm)	Car Parking for each residential unit
Plotted Residential	101 to 200	1.00
	201 to 300	2.00
	Above 300	1.00
Group housing	Less than 50	2.00 sqm area per Plot
	50 to 100	1.0 / Plot
	100 to 150	1.25 / Plot
	Above 150	1.50 / Plot

2. **Heritage Bye-laws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.**

In the "**Development authority building construction and development sub method - 2008; Revised 2016, sub section – 3.1.9 (I) & (II)**, there is a demonstration about the ASI's act relevant for the monuments and heritage sites declared protected by the ASI. It is elaborates that, no construction and development is permitted in a periphery of 100m (prohibited area) from the protected boundary of the archaeological monument/sites. And, beyond that, up to 300m (regulated area), the approbation for construction / development would beobtainedfromtheDepartmentofASIaspertherulesoftheAncientMonument and Archaeological Sites and Remains Act –1958.

3. **Open spaces.**

Standard deference to arrangement of open spaces during construction are briefed in the "**Development authority building construction and development sub method – 2008; Revised 2016", sub section – 2.2.1 & 2.2.3,**which are mentioned below:

1. **Residential land-use:**15 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and play ground.
2. **Non Residential land-use:**10 percent of layout plan is left as open space as Tot-Lot, park and play ground.
3. **Landscape Plan:**
   a. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the road width is 9m or less than 12m.
   b. The trees will be planted on both side along the road when road width is more than 12m.
   c. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.
4. In commercial planning the 20 percent of open space will be reserved for greenery and 50 trees will be planted per hectare.
5. In the areas like institutional area, public amenities, playground, 20 percent of open area is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare.

4. Mobility with the Prohibited and Regulated area –Road Surfacing Pedestrian Ways, non –motorised Transport etc.

Specifically for mobility in the prohibited and regulated areas of the monument, as such no provisions are made under any of the current state government acts and guidelines. While, on the streets subsisting close to the monument, mostly slow moving motorized and non-motorized conveyances can be seen consistently.

Further, the other Road/ Street Development parameters specified under the **"Development authority building construction and development sub method** – 2008; Revised 2016", sub section – 2.3.1 & 2.3.2:

- For Residential:

Table 10

Sr. No.	Length Of Road in Mts.	Width of Road in Mts.
1.	Upto 200 Mts.	9
2.	201 - 400	12
3.	401 - 600	18
4.	601 - 1000	24
5.	Above 1000	30

- Width of Loop Street should not be less than 9 Mts length not more than 400 Mts.
- Width of Road with open land or open area on one side can be 7.5 Mts and it should not be more than 200 Mts in length.
- In case of bulk sale of lands with area upto 50 Acres, the width of access road.

For Commercial/Official/ Industrial :

Table 11

Sr. No.	Length Of Road in Mts.	Width of Road in Mts.
1.	Upto 200 Mts.	12
2.	201 - 400	18
3.	401 – 1000	24
4.	Above 1000	30

5. Streetscapes, Facades and New construction

Rules and regulations applicable for various types of new construction and development work throughout the Shahabad city, are already specified in the preceding sections, with respect to the current local development authorities. Further, no guidelines and provisions are framed in yet pertinent to streetscapes and facades.

ANNEXURE – IV

अनुलग्नक – IV

नवाब दिलेर खान के मकबरे की सर्वेक्षण योजना, हरदोई

Survey Plan of the Maqbara of Nawab Diler Khan, Hardoi

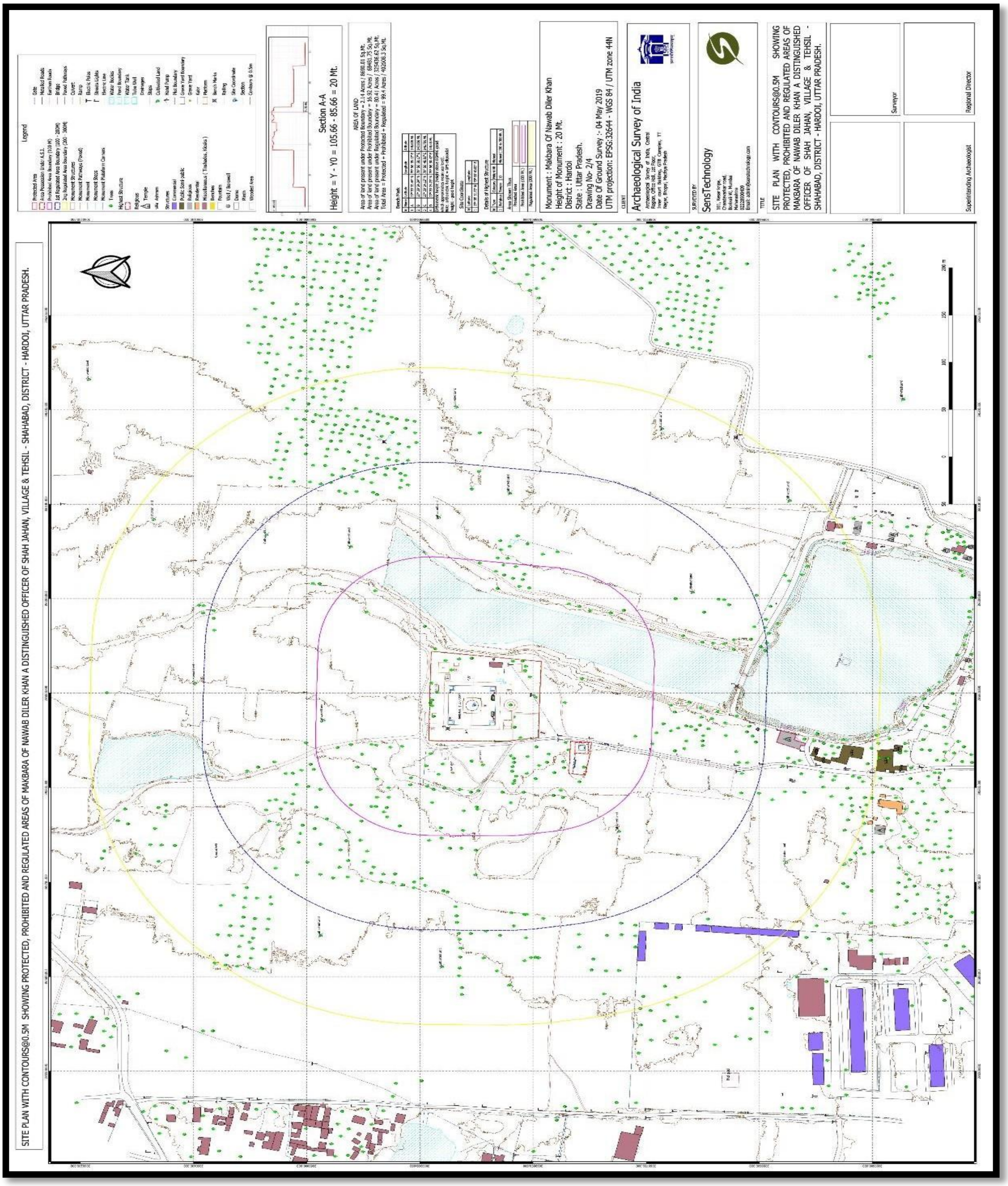

नवाब दिलेर खान का मकबरा, हरदोई, के लिए संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित चारदीवारी को दर्शाता ऑर्थोमोजेक (मानचित्र)

Orthomosaic showing Protected, Prohibited and Regulated boundaries for Maqbara of Nawab Diler Khan, Hardoi

अनुलग्नक – V
ANNEXURE – V

स्मारक के चित्र

Images of the Monument

चित्र 1, नवाब दिलेर खान के मकबरे के अग्रभाग का दृश्य

Figure 1, Front view of the Tomb of Nawab Diler Khan

चित्र 2, नवाब दिलेर खान का मकबरा

Figure 2, Tomb of Nawab Diler Khan